में प्रार्थी समिति के हक व अधिकार निहित है इसलिए प्रार्थी समिति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है और प्रार्थी समिति को वाद में प्रतिवादी संख्या 18 के रूप में पक्षकार बनाया जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान हेतु दिनांक 04.02.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

4/2/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम करीकैन उपस्थित वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान पेश किया शामिल मिसल होवे प्रतिवादी सं० 18 की ओर से प्रा०पत्र बाबत वाद को नामिटी घोषित किये जाने का पेश किया नकल वादी अधिवक्ता को दिलवाई गई पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र हेतु दिनांक 9/2/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

9/2/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम करीकैन उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रा०पत्र पर किये बहस प्रस्तुत की नकल वादी अधिवक्ता को दिलवाई गई, वादी अधिवक्ता ने प्रा० पत्र का जवाब का इन्कार सीधे बहस करने का निवेदन किया बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/2/22 को पेश हो।

उप... ...कारी
जय... (सांगानेर)

11/2/22 पत्रावली पेश हो। प्रतिवादी सं० 18 की ओर से [illegible] स्वीकार किया जाकर वादी का [illegible] किया जाकर को [illegible] पृथक विस्तृत आदेश [illegible] पत्रावली उक्त पत्रावली खारिज होकर दर्ज र० से खारिज हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.03 12:37:42 IST
Reason: SelfAttested

Jul 28, 2022, 13:26